(26)

प्रेषक.

राम नगीना मौर्य,

विशेष सचिव, उ०४० शासन।

सेवा में,

्रप्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुमाग-1

लखनऊ : दिनांक : 5 जून, 2020

विषय—ः उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन में आवश्यक मानव संसाधन की भर्ती किये जाने हेतु पदों का सृजन।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3446 / वित्त / 2020-21, दिनांक 23 अप्रैल, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— उयत के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन िलमिटेड को सुचारू रूप से संचालित किये जाने एवं जनपदीय औषधि मंडार गृह के संजाल को सिक्य करने के लिये प्रतिनियुक्ति/संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति किये जाने हेतु शासनादेश संख्या—466/पांच—1—2020—5(36)/2017, दिनांक 28 फरवरी, 2020 द्वारा गुख्यालय स्तर पर 40 पदों एवं जनपदीय वेयर हाउस हेतु 320 पदों तथा शासनादेश संख्या—545/पांच—1—2020—5(36)/2017, दिनांक 17 अप्रैल, 2020 द्वारा मुख्यालय स्तर पर 21 पदों का अस्थायी रूप से सृजन किये जाने से सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये थे। अब पुनः आपके उक्त सदर्भित पत्र द्वारा किये गये अनुरोध एवं आवश्यकताओं के दृष्टिगत मुख्यालय स्तर पर 20 पद, जिनका विवरण नीचे अंकित है, को अस्थायी रूप से आदेश निर्गत होने की तिथि से 28.02.2021 तक के लिये बशर्त इन पदों को पहले ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, निम्निलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष रवीकृति प्रदान करते हैं:—

## मुख्यालय हेतु पदों का सृजन :--

कम सं0	पदनाम एवं विभाग	पूर्व में स्वीकृत पद	नवीन स्वीकृत पद	मैट्रिक्स लेवल प्रतिनियुक्ति की स्थिति में प्रस्तावित	भर्ती का स्रोत
1-	प्रवन्ध निदेशक प्रबन्धन	01		_	
2-	अपर प्रबन्ध निदेशक प्रशासन	01 (प्रजन्धन)	-		-
3-	कम्पनी सचित्र (निगम कार्य)	01			
4-	विता नियंत्रक (वित्तीय योजना	01			

GM (AHL)

Alpa 1000

1713-9



	एव विश्लेषण)				
5-	सलाहकार गुणवत्ता नियंत्रण	01	_		
6-	सलाहकार (उपकरण एवं सेवाये उपाजन) उपकरण उपाजन	(औषधि उपार्जन)	01	13	प्रतिनियुक्ति संविदा
7-	सलाहकार लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउस आपूर्ति शृंखला		-		- 10340
8-	महाप्रबन्धक चित्त एवं लेखा	05 (औषधि उपार्जन, उपकरण उपार्जन, प्रशासन मानव संसाधन एवं विधि, गुणवत्ता नियंत्रक, आपूर्ति श्रृंखला)			
9-	प्रवन्त्रक वित्त एवं लेखा		01	10	प्रतिनियुक्ति संगिदा
10-	प्रवन्धक सेवाये	08		-	- three tr
11-		(औषधि उपार्जन, उपकरण, मुणवत्ता नियंत्रण, आई0टी0 मानव संसाधन, प्रशासन, आपूर्ति शृखला, वेयर हासस)	01	10	प्रतिनियुक्ति संविदा
12-	सहायक प्रबन्धक (वैयर हाउस) आपूर्ति शृंखला		03	9	प्रतिनियुक्ति संविदा
13-	लेखाधिकारी वित्तीय योजना एवं विश्लेषण	01 (वित्त एवं लेखा/	01	8	प्रतिनियुक्ति संविदा
14-	लेखाधिकारी वित्त एवं लेखा	विस्तीय योजना एवं विश्लेषण)	01	8	प्रतिनियुक्ति, संविदा
15-	फार्मासिस्ट औषधि उपीजन	01	04	8	प्रतिनियुक्ति संविदा
16-	फार्मासिस्ट गुणवला नियंत्रक	01	03	8	प्रतिनियुक्ति, संविदा
17-	यायो–मेडिकल इंजीनियर उपकरण उपार्जन	02 (गुणवत्ता नियंत्रण, उपकरण उपार्जन)	01	8	प्रतिनियुक्ति, सर्विदा
18-	एकजीक्यूटिय आई०टी०	01			
19-	एकजीक्यूटिव / कार्यालय सहायक (निगम के सभी अनुभाग)	09	02	3	संविदा / आउटसोर्सिंग
20-	कम्प्यूटर आपरेटर (निगम के सभी अनुमाग)	11	02	2	आउटसोसिंग
21-	वैयक्तिक सहायक	02		3018-	
22-	कार्यालय सहाराक	03		_	
23-	चतुर्थ श्रेणी मुख्यालय	12		-	



25-	कुल योग :	61	20		
UGU	सुरक्ष कमी / सफाई कमी मुख्यालय		आउटसोर्स आफ सर्विसंज के आधार पर	-	आउटसोसिंग अस्य सर्विसंज के आधार पर

प्रदेश के 75 जनमदों के जनपदीय वेयर हाउस हेतु पदो का सृजन :-

क्रम सं0	पदनाम	पूर्व में स्वीकृत पद	नवीन स्वीकृत पद
		20 बड़े जनपद हेतु	
1	फार्मासिस्ट	40	
2	कम्प्यूटर आपरेटर	20	-
3	हैण्डलर	20	
4	चतुर्थ श्रेणी	20	_
5	सफाई कमी एवं सुरक्षा कमी योग:-		
	योग:-	100	_
1	फार्मासिस्ट्	55 छोटे जनपदीं हेतु 55	
2	कम्प्यूटर आपरेटर	55	
	***************************************		_
3	<b>ਲੈ</b> ਪਫ਼ਲਾਵ	55	
3	700-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-		
3	हैण्डलर चतुर्थ श्रेणी	55	
3 4	<b>ਲੈ</b> ਪਫ਼ਲਾਵ	55 55	

- (1) उक्त स्वीकृत किये जा रहे 20(बीस) पद अखायी हैं तथा 28.02.2021 तक की अवधि के लिये इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि अथवा इन पर नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से इस प्रतिबन्ध एवं शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाते हैं, बशर्ते कि इन पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।
- (2) चूँकि सृजित होने वाले नियमित पदों पर वेतन भत्तों व अन्य पदों पर आने वाले व्यय की वास्तविक आवश्यकता नियुक्ति / शैनाती की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात ही होगी। अतएव इस पर आने वाले व्यय-भार हेतु आवश्यक धनराशि के लिये वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।
- (3) SIFPSA परियोजना के अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर 75 तथा जनपद स्तर पर 85 कार्मिक कार्यरत् है और इनके वेतन मद में प्रतिमाह 163.00 लाख व्यय किया जा रहा है। SIFPSA परियोजना के कियान्वयन की प्रासिंगिकता लगभग समाप्त हो चुकी है। अतः उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 में रिक्त पदों पर SIFPSA के कार्मिकों को re-deploy किया जाय।

- (4) सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से सेवाओं के आउटसोर्स के आधार पर सृजित होने वाले पदों की सेवाएँ 'आउटसोर्स आफ सर्विसेज' के आधार पर ली जायेगी तथा सेवाप्रदाता एजेन्सी का चयन पारदर्शी रीति से सुसगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- 3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—ई—3—534 / दस—2020 दिनांक 05 जून, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय. ( राम नगीना मौर्य ) विशेष सविव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेंडिकल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2-वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सम्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त(वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2

5-चिकित्सा अनुभाग-६

6-गार्ड फाइल / कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से, \ ( वेद प्रकाश राय ) अनुसचिव।